उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
"शक्ति भवन"
14 - अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या- 2।।- विनियम-23/पाकालि/2001-11विनियम/80 दिनांक : 6 दिस० 2001

कार्यालय ज्ञाप
===========

कारपोरेशन के ज्ञाप सं०-4-विनियम-23/पाकालि-2000-1रेगु/2000 दिनांक 3.2.2000 द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में विनियम बनाये जाने तक उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद द्वारा अपने कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु बनाये गये विनियम ‖अद्यतन संशोधित‖ एवं तत्सम्बन्धी जारी प्रशासनिक आदेशों को कारपोरेशन के कार्मिकों पर आवश्यक परिवर्तनों सहित ‖ Mutatis- Mutandis ‖ लागू रखने के आदेश निर्गत किये गये हैं ।

2- उक्त आदेशों के अनुक्रम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने निर्णय लिया है कि उपरोक्त सन्दर्भित ज्ञाप दिनांक 3.2.2000 के बिन्दु 1 एवं बिन्दु 2 पर उल्लिखित क्रमशः उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता ‖सिविल‖ सेवा विनियमावली - 1970 के विनियम 5 में निहित प्राविधानों को एतद्द्वारा निम्नवत् प्रतिस्थापित कर लागू किया जाय :-

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली - 1970

विनियम - 5 ‖भर्ती का स्रोत‖

‖1‖ सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ग अलग-अलग की जायेगी । जिस वर्ग जिस वर्ग में पद रिक्त होंगे उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी ।

‖क‖ 57 प्रतिशत -------- प्रशिक्षित अभियन्ताओं में से सीधी भर्ती हेतु ।

‖ख‖ 33.33 प्रतिशत ------ अवर अभियन्ता से प्रोन्नति द्वारा चयन वर्ग के सदस्यों से परिशिष्ट "ग" में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु ।

‖ग‖ 1.33 प्रतिशत -------- स्थायी एवं अर्ह गणकों ‖चयन वर्ग‖ ‖विद्युत/यांत्रिक‖ से परिशिष्ट "ग" में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु ।

(घ) 8.33 प्रतिशत ------डिग्रीधारी अवर अभियन्ता/संगणकों से प्रोन्नति हेतु ऐसे अवर अभियन्ता/संगणकजो बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त हो तथा जिन्होने चयन वर्ष के प्रथम दिवस (प्रथम जुलाई) को अवर अभियन्ता/संगणक पद पर 10 वर्षों की अर्ह सेवा पूरी कर ली हो ।

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त (घ) के विरुद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या, अवर अभियन्ता व संगणकों में से बांटी जायेगी, जो उपर्युक्त (ख) एवं (ग) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा विनियमावली- 1970

विनियम- 5 (भर्ती का स्रोत)

(1) सेवा में भर्ती, किसी भी वर्ष में निम्न प्रकार से की जायेगी :-

(I) परिशिष्ट "क" में वर्णित नियम व रीति के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा--------57 प्रतिशत

(II) परिशिष्ट "ख" में वर्णित रीति के अनुसार अवर अभियन्ता (सिविल) से पदोन्नति द्वारा ------------------------------33⅓ प्रतिशत

(III) परिशिष्ट "ख" में वर्णित रीति के अनुसार स्थायी व अर्हता प्राप्त संगणकों (प्रवरण श्रेणी) (सिविल) से पदोन्नति द्वारा--------1⅓ प्रतिशत

(IV) डिग्रीधारी अवर अभियन्ता/संगणक से प्रोन्नति हेतु ऐसे अवर अभियन्ता/संगणक जो बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त हो तथा जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस (प्रथम जुलाई) को अवर अभियन्ता/संगणक पद पर 10 वर्षों की अर्ह सेवा पूरी कर ली हो --------------------8.33 प्रतिशत

प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त (IV) के विरुद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या अवर अभियन्ताओं व संगणकों में से बांटी जायेगी, जो उपरोक्त (II) एवं (III) में वर्णित पदोन्नति के कोटा के अनुपात में होगी ।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

परशुराम सिंह
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या – 21(1)/विनियम-23/पा [illegible]-2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
3- समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
4- समस्त मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
5- मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, लेखा शाखा, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
6- समस्त अधिकारी/अनुभाग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
7- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 1.12.2001 को सम्पन्न बैठक के मद संख्या – छब्बीस(9)/2001 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन आख्या स्वरूप।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 शास्त्री)
उप महाप्रबन्धक